



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

शमसुल्लाह बनाम चन्द्रप्रकाश

मुकदमा दावा नं. 381 सन् 2025

दिख क्रम	हुकम था कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण बाद जाँच सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 09/01/26को पेश हो।	
01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को सम्मन बाद तालीम होकर प्राप्त। शांफाव प्रतिवसं. 1 स्वयं उपस्थित। प्रति 1 की ओर से Adv श्री PCC ने वकील पेश किया गया। उभय पक्ष ने राप्तीनामा पेश किया गया। शां फाव प्रति 1 ने दफा किया है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी भारवाही हेतु जाने-जाने के लिए उपयोग हेतु स्वयं होंगे। प्रति 1, वादी की भूमि की ओर किसी प्रकार का फाती की निवासी या खिडकी	 <p>चन्द्रप्रकाश शमसुल्लाह</p> 

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुक्म
में

इस्वाज या हुक्म आदि नहीं निकालेगा। प्रतिवादी
वादी की भूमि पर कोई गंडगी नहीं करने
है पावंड है। प्रतिवादी द्वारा डीवार पर उतर
से दाहिना की ओर बनाये गेक व पानी को
यथावत रखने पर उम्पपक्ष सहमत है। उम्प
पक्ष की सहमति से राप्तीनामा तस्दीक किया
गया। उपरोक्त विषय एक तस्दीक राप्तीनामा
के आधार पर वादी का वाद प/स 183, 188,
209 RT Act आदेशीय रूप से लीकार किया
जाकर उम्पपक्ष को इस आशय कि
लघाई निषेधात्मक से पावंड किया जाता है
कि वे ग्राम सुनेल तस्दीक सुनेल की
वाडग्रहण आराप्ती के सम्बंध राप्तीनामे की
शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगी।
पगावली फैसल सुमाए होकर तस्दीक से
कम होकर वाड तस्दीक तस्दीक दाखिल
दफतर ही।



[Handwritten Signature]

09/01/2020
उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला कुलावाड (राज०)